न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: पुरुषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस

{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

सेशन प्रकरण संख्या : 05/2021

(CIS No. : 05/2021)

(CNR No. : RJRS060001232021)

प्र.सू.रि. संख्या : 237/2020 पुलिस थाना खमनौर

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

-- अभियोगी

विरूद्ध

1. दुर्गा उर्फ दुर्गेश पिता सोहनलाल, आयु 24 वर्ष, निवासी भील बस्ती कराई, थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोहनलाल पिता नाना, आयु 50 वर्ष, निवासी भील बस्ती कराई, थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)

--अभियुक्तगण

अपराध धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:-

1. श्री लोकेश कुमार माली - विद्वान् अपर लोक अभियोजक
2. श्री योगेश पाराशर - विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण

- निर्णय -

दिनांक : 13.03.2026

1. यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना, खमनौर की ओर से न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पेश किया गया है। जहां से प्रकरण सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण योग्य होने से उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.11.2020 को परिवादी मन्ना पिता दोला गमेती ने बमुकाम सी.एच.सी. खमनौर पर पुलिस थाना खमनोर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 इस आशय की पेश की कि उसकी लड़की सविता की शादी आज से दो वर्ष पूर्व दुर्गेश पिता सोहनलाल गमेती के साथ कराई थी एवं आज से 7-8 दिन पूर्व उसकी लड़की व उसके पति के आपस में अनबन होने से सविता के ससुर सोहनलाल ने उसे कराई बुलाया, जिस पर वह तथा उसके परिवार वाले कराई आये एवं लड़की सविता को लेकर गांव कुण्डाल चला गया। पिछले गुरूवार को उसकी लड़की का ससुर सोहनलाल, नानालाल, मोहन व परिवार के लोग कुण्डाल उसके घर आये, जिस पर लड़की सविता को उनके साथ ससुराल कराई भेजा। कल दिनांक

28.11.2020 को उसके बड़े भाई मोहनलाल ने उसे मोबाईल से करीब 8.00 पी.एम. पर सूचना दी कि आज दिन में सविता के साथ उसके पति ने उसके घर पर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार वाले घर पर नहीं होने व रात्रि होने से वह तथा परिवार के सदस्य नहीं आ सके। आज वह तथा परिवार वाले रोडाजी, भंवर, प्रताप, लोगर, झवेर, मोहन, उदयराम व उसका लड़का सुरेश आदि खमनौर हॉस्पीटल पर सूचना के आधार पर आये। उसकी लड़की सविता की लाश मोर्चरी में रखी है। लाश को उसने व सभी ने देखा तो उसकी लड़की सविता के दोनों पैर घुटनों के नीचे से टूटे हुए है, सिर पर चोट का गहरा घाव होकर खून से लथपथ है, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मारपीट के निशान की नील जमीन हुई है। सविता का पति उसके चरित्र पर शंका कर आये दिन उसके साथ मारपीट करता था.......इत्यादि।

3. पीड़िता द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खमनौर पर प्रकरण संख्या 237/2020 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 27.09.2021 को अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप तथा दिनांक 25.10.2021 को अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.-1 नानकीबाई, पी.डब्ल्यू.-2 मन्नाराम, पी.डब्ल्यू.-3 मोहन पिता दौला, पी.डब्ल्यू.-4 भंवरलाल, पी.डब्ल्यू.-5 लोगर, पी.डब्ल्यू.-6 पप्पु, पी.डब्ल्यू.-7 जोधाराम, पी.डब्ल्यू.-8 नानालाल पिता तेजा, पी.डब्ल्यू.-9 लाला, पी.डब्ल्यू.-10 सुनकी बाई, पी.डब्ल्यू.-11 प्रताप, पी.डब्ल्यू.-12 मांगीलाल, पी.डब्ल्यू.-13 देवली, पी.डब्ल्यू.-14 मोहनलाल पिता छलुड़ा, पी.डब्ल्यू.-15 मीठालाल, पी.डब्ल्यू.-16 विक्रमसिंह, पी.डब्ल्यू.-17 नानालाल पिता चुना, पी.डब्ल्यू.-18 कमलीया, पी.डब्ल्यू.-19 हीराराम, पी.डब्ल्यू.-20 मोहनलाल पिता दौलतराम, पी.डब्ल्यू.-21 राजुलाल, पी.डब्ल्यू.-22 डॉ. आर.पी. चावला, पी.डब्ल्यू.-23 कैलाशसिंह, पी.डब्ल्यू.-24 प्रतापी एवं पी.डब्ल्यू.-25 डॉ. जेनेश्वर प्रसाद को परीक्षित करवाये गये।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	प्रदर्श	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श पी-1	पुलिस बयान नानकी बाई

2.	प्रदर्श पी-2	लिखित रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी-3	पंचायतनामा लाश
4.	प्रदर्श पी-4	फर्द सुपुर्दगी लाश
5.	प्रदर्श पी-5	नक्शा मौका
6.	प्रदर्श पी-6	फर्द जब्ती खून आलूदा सीमेंट की कंकरी
7.	प्रदर्श पी-7	फर्द तस्दीक घटनास्थल रिहायशी मकान
8.	प्रदर्श पी-8	फर्द जब्ती लौहे की कुदाली व डण्डा
9.	प्रदर्श पी-9	फर्द जब्ती मृतका सविता के कपड़े
10.	प्रदर्श पी-10	फर्द बरामदगी स्थल लौहे की कुदाली मय हत्था
11.	प्रदर्श पी-11	पुलिस बयान पप्पुलाल
12.	प्रदर्श पी-12	फर्द सुरते हाल लाश मृतका सविता
13.	प्रदर्श पी-13	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त दर्गा उर्फ दुर्गेश
14.	प्रदर्श पी-14	फर्द जब्ती अभियुक्त के पहने हुए कपड़े
15.	प्रदर्श पी-15	पुलिस बयान नानालाल पिता तेजा
16.	प्रदर्श पी-16	पुलिस बयान मांगीलाल
17.	प्रदर्श पी-17	पुलिस बयान देवलीबाई
18.	प्रदर्श पी-18	पुलिस बयान मोहनलाल पिता छलुडा
19.	प्रदर्श पी-19	पुलिस बयान मीठालाल
20.	प्रदर्श पी-20	पटवारी, पटवार मण्डल मचिन्द को जारी तहरीर
21.	प्रदर्श पी-21	नक्शा ट्रेस
22.	प्रदर्श पी-22	जमाबंदी की नकल
23.	प्रदर्श पी-23	पुलिस बयान कमलीया
24.	प्रदर्श पी-24	कार्यालय पुलिस अधीक्षक राजसमन्द का अग्रेषण पत्र
25.	प्रदर्श पी-25	कायार्लय पुलिस थाना खमनौर का अग्रेषण पत्र
26.	प्रदर्श पी-26	प्राप्ति रसीद
27.	प्रदर्श पी-27	मालखाना रजिस्टर की नकल
28.	प्रदर्श पी-28	मालखाना रजिस्टर की नकल
29.	प्रदर्श पी-29	मृतका सविता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने हेतु जारी तहरीर
30.	प्रदर्श पी-30	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
31.	प्रदर्श पी-31	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
32.	प्रदर्श पी-32	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
33.	प्रदर्श पी-33	चाक एफआइआर
34.	प्रदर्श पी-34	अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश की गिरफ्तारी की सूचना
35.	प्रदर्श पी-35	मृतका सविता के फोटोग्राफस

36.	प्रदर्श पी-36	मृतका सविता के फोटोग्राफस
37.	प्रदर्श पी-37	मृतका सविता के फोटोग्राफस
38.	प्रदर्श पी-38	पुलिस बयान प्रतापी
39.	प्रदर्श पी-38	एफएसएल रिपोर्ट

7. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किया गया, तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया और अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई। बचाव पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये-

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण**
1.	प्रदर्श डी-1	पुलिस बयान मानालाल

8. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी तात्विक साक्षीगण की साक्ष्य सत्य, विश्वसनीय, स्वाभाविक एवं पुष्टिकारी प्रकृति की है। घटना से पूर्व मृतका सविता को अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखा गया था। बरामदगी को अनुसंधान अधिकारी व अन्य मौतबिरान ने प्रमाणित किया है। गवाह पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला व पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने मृतका सविता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। अभियुक्तगण की ईत्तला के आधार पर कुदाली व हत्था अभियुक्त के रिहायशी मकान से बरामद हुए हैं। अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश के खून आलुदा कपड़ों पर मृतका के खून के धब्बे एफएसएल रिपोर्ट में प्रमाणित हुए हैं। इस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा सविता की हत्या कारित करना पूर्ण रूप से प्रमाणित है। अतः पत्रावली पर आयी साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता हैं और अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

9. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस उक्त तर्कों पर पुरजोर विरोध करते हुए निवेदन किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है। अभियुक्तगण को केवल शंका एवं अनुमान के आधार पर गिरफ्तार कर अभियोजित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध परिस्थितिजन्य प्रकृति की साक्ष्य संकलित की गई है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित

नहीं होता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अत्यन्त कमजोर प्रकृति की परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने संकलित की है जिनके आधार पर अभियोजन का यह प्रकरण स्थिर रहने योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष ने ऐसे किसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया है जिसने घटना से पूर्व मृतका सविता को अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखा हो। अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार की गई अभियोजन फर्दात में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए जहां-जहां अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक तथ्यों के संदर्भ में संस्वीकृति की गई है, ईत्तला दी गई हैं वे धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य अग्राह्य है। अनुसंधान अधिकारी ने जितनी भी फर्दात तैयार की है उनमें कोई स्वतंत्र साक्षीगण नहीं है।

10. विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि पी.ड.2 मन्नाराम की रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 पर प्रकरण दर्ज किया गया है परन्तु पी.ड.2 मन्नाराम के न्यायालय बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 से बिल्कुल विरोधाभासी है। गवाह पी.ड.2 मन्नाराम की साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.3 मोहन मृतका का काका, पी.ड.4 भंवरलाल, पी.ड.5 लोगर व पी.ड.11 प्रताप मृतका के दादा हैं, पी.ड.10 सुनकी बाई मृतका की माता हैं, जिन्होंने भी अपने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि नहीं की है। उपरोक्त साक्षीगण ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण पी.ड.1 नानकीबाई, पी.ड.6 पप्पु, पी.ड.8 नानालाल, पी.ड.12 मांगीलाल, पी.ड.13 देवली, पी.ड.14 मोहनलाल, पी.ड.15 मीठालाल एवं पी.ड.18 कमलीया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन प्रकरण का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण दुर्गा उर्फ दुर्गेश की ईत्तला के आधार पर मृतका के कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त कुदाली व डण्डे को बरामद किया है जबकि बरामदगी स्थल खुला स्थान होकर बकरी बांधने का स्थान था जहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था और वहां कोई ताला कुंडी नहीं थी। इसके अतिरिक्त भी बरामदगी स्थल एवं घटनास्थल दोनों एक ही स्थान होना अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में प्रकट किया हैं जो यह दर्शाता है कि अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण को मिथ्या आरोपित करने के लिए उपरोक्त साक्ष्य संकलित की है। घटना से पूर्व मृतक को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखे जाने बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियोजन पक्ष ने हत्या का Motive सिद्ध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दुर्गा के द्वारा मृतका सविता की हत्या कारित किये जाने के संदर्भ में अभियोजन पक्ष ने कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अभियुक्त दुर्गा से ऐसी कोई सामग्री

बरामद नहीं हुई है जो अभियुक्त दुर्गा को हत्या जैसे गंभीर आरोपित अपराध से प्रत्यक्ष जोड़ती हो। इसके अतिरिक्त बरामदगी के गवाहान व अनुसंधान अधिकारी के बयानों में गंभीर एवं तात्विक विरोधाभास है जो सम्पूर्ण बरामदगी को दूषित करता है। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रकृति की है और दोनों अभियुक्तगण आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्ति के हकदार है।

11. हमने उभय पक्षों के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर विचार करना हैः-

1. क्या अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश ने दिनांक 28.11.2020 को समय 8.00 पीएम से पूर्व किसी समय खमनौर के क्षेत्र ग्राम कराई में अपने निवास स्थान पर अपनी पत्नी सविता की हत्या कारित करने के आशय से उसके साथ लौहे की कुदाली व डण्डे से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित किया?

2. क्या उक्त दिवस, समय व स्थान पर अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश द्वारा अपनी पत्नी सविता की हत्या कारित करने के पश्चात् अभियुक्तगण दुर्गा उर्फ दुर्गेश एवं सोहनलाल के द्वारा सविता के वक्त घटना पहने हुए खून आलुदा कपड़े उतारकर उन्हें छिपाकर दूसरे कपड़े पहनाकर एवं कमरे में फर्श पर पड़े खून को साफ कर साक्ष्य का विलोपन किया ?

3. यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र हैं ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 01 एवं 02:-</u>

12. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दू परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण साक्ष्य के पुनर्विवेचन एवं बारम्बारता से बचने के आशय से एक साथ किया जा रहा है।

13. उक्त सभी अवधार्य बिन्दुओं के संदर्भ में अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में कुल 25 साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। अभियोजन साक्ष्य संक्षेप में निम्न प्रकार है-

14. गवाह पी.ड.2 मन्नाराम प्रकरण का परिवादी है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व रात्रि करीब 8 बजे उसके बड़े भाई मोहनलाल ने फोन पर सूचना दी कि सविता के पति ने सविता के साथ मारपीट कर उसे मार दिया है। दूसरे दिन 9 से 10 बजे वे खमनौर हॉस्पीटल गये जहां सविता की लाश को देखा जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे और माथे पर घाव होकर पूरे शरीर के अन्य भागों में चोट के निशान थे। सविता का पति उस पर शंका करता था इसलिये उसके साथ मारपीट की। उसने लिखित रिपोर्ट

प्रदर्श पी-2 दी। पुलिस ने मृतका सविता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया। लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी-4 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 है। फर्द जब्ती खून आलुदा मिट्टी प्रदर्श पी-6 है। इन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी.ड.2 मन्नाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि सविता को मारने वाली बात उसके भाई मोहन ने उसे बतायी। मोहन को किसने बतायी यह उसे नहीं पता। सविता मरने से 10 दिन पहले अपने ससुराल गयी थी उससे पहले वो पीहर में थी। यह उसे नहीं पता कि सविता पर उसका पति आशंका रखता हो उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। सविता उसकी बेटी है। यह कहना सही है कि दुर्गेश व उसके परिवार वालों ने कभी भी सविता के चरित्र को लेकर शंका वाली बात नहीं कही। सविता की लाश हॉस्पीटल में कौन लाया कैसे लाया यह उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि सविता का पति व उसके ससुराल वाले उस वक्त हॉस्पीटल में मौजूद थे। प्रदर्श पी-2 पर लिखी इबारत उसकी कलमी नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-2 किस तारीख को किसने लिखी यह भी वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-2 पर पुलिस वालों के कह देने से उसने हस्ताक्षर कर दिये। यह कहना सही है कि जब कभी सविता उसके घर पर आयी तब कभी भी अपने पति व ससुराल वालों की कोई शिकायत नहीं की थी। यह कहना सही है कि सविता की मौत के दो चार दिन पहले तक या मृत्यु के बाद कभी भी वह सविता के घर नहीं गया था। जिस दिन वह हॉस्पीटल गया उसी दिन पुलिस वालों ने प्रदर्श पी-2 से प्रदर्श पी-6 तक के सभी हस्ताक्षर उसके थाने पर बुलाकर करवाये थे और उस वक्त ये सभी फर्दें खाली थी। यह कहना सही है कि आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश ने उसकी पत्नी की मृत्यु कारित की हो। यह कहना सही है कि आज दिन तक उसने अपने समाज में यह बात कभी नहीं सुनी कि दुर्गेश या उसके परिवार के लोग उनके घर की औरतों को परेशान व प्रताडित करते हो।

16. गवाह पी.ड.3 मोहन ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले खमनौर थाने से फोन आया कि सविता के पति ने सविता को मार दिया। दूसरे दिन वह और पत्नी खमनौर हॉस्पीटल गये जहां सविता की लाश को देखा जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे और माथे पर चोट थी और सिर में घाव व पूरे शरीर में खून जमा हुआ था। सविता का पति उस पर शंका करता था। मृतका सविता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया। लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी-4 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 है। फर्द जब्ती खून आलुदा मिट्टी प्रदर्श पी-6 है। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी-7 है। फर्द जब्ती लौहे की कुदाली व डंडा प्रदर्श पी-8 है। फर्द जब्ती मृतका के पहने कपड़े प्रदर्श पी-9 है तथा फर्द बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-10 है। इन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

17. गवाह पी.ड.3 मोहन ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि सविता उसकी भतीजी लगती है। यह कहना सही है कि उसने फोन पर सविता के पिता को रात को ही सूचना कर दी थी। यह कहना सही है कि सविता की मौत से पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति ने उसे यह बात नहीं बतायी कि सविता का पति या ससुराल वाले सविता के साथ बुरा बर्ताव करते हो या क्रूरता करते हो। इस घटना से पहले सब कुछ सामान्य था। सविता अपनी मृत्यु से आठ दिन पहले पीहर आयी थी जो किसी मारूवास के लडके के लिए आयी थी। यह कहना सही है कि आखिरी दो से तीन बार सविता अपने ससुराल से बिना बताये निकली और बाद में अपने पीहर आ गयी। यह कहना सही है कि इस पर उसके ससुराल वाले उसे पीछे से ढूंढते फिरते थे। यह कहना सही है कि उसे अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह बताया हो कि सविता को उसके पति या उसके ससुराल वालों ने मार डाला हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-3 से प्रदर्श पी-10 तक सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर खमनौर हॉस्पीटल में करवाये थे तब ये सभी कागज खाली थे उस दिन वे खमनौर हॉस्पीटल सविता की लाश लेने गये थे। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने कहा कि हस्ताक्षर करने पड़ते है इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिये। यह कहना सही है कि आज दिन तक ऐसी कोई वस्तु, हथियार इत्यादि उसने कभी नहीं देखा है जो पुलिस ने इस घटना के संबंध में जब्त किया हो। यह कहना सही है कि दुर्गेश भोला है। सविता के घर के आगे करीब 12 से 15 फीट उंचा चबूतरा है जिस पर कोई पर्दी नहीं कर रखी है। यह कहना सही है कि जैसी चोट उसने सविता के सिर पर देखी वैसी चोट ऐसे उंचे स्थान से गिरने से आ सकती है। यह कहना सही है कि इस उंचाई से कोई गिर जाये तो पैर टूटना भी संभव है। यह कहना सही है कि आज दिन तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि सविता को उसके पति दुर्गेश ने मारा है। यह कहना सही है कि किसी और ने मार दिया हो तो भी वह कह नहीं सकता है।

18. गवाह पी.ड.4 भंवरलाल ने अपने मुख्य्य परीक्षण में कहा है कि करीब डेढ़ साल पहले मन्नाराम ने उसे घर बुलाया और बताया कि सविता के पति ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। सुबह वह तथा सविता के माता-पिता व अन्य परिवार वाले सभी खमनौर हॉस्पीटल पर गये जहां सविता की लाश को देखा तो सविता के लाश के दोनों पैर टूटे हुए थे और सिर में लगी हुई होकर खून आ रहे थे और शरीर के अन्य भागों में नील जमी हुई थी। उन्हें पता चला कि सविता का पति सविता के उपर शंका करता था और इसी शंका के कारण सविता के पति ने सविता को लठ से मारकर हत्या कर दी। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी-3 है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-4 है। इन पर उसके हस्ताक्षर है।

19. गवाह पी.ड.4 भंवरलाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि मृतका सविता उसकी पोती लगती थी। उसे नहीं पता उन कागजों में क्या लिखा हुआ था। कुछ लिखा था या नहीं यह भी वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसने आज दिन तक दुर्गेश या उसके परिवार वालों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि ये लोग अपने परिवार की औरतों को परेशान करते हो। यह कहना सही है कि सभी ने सविता को अच्छे से देखभाल करके सगाई की थी। दुर्गेश के साथ सविता की सगाई करीब 5 से 7 साल रही। यह कहना सही है कि सविता अपने ससुराल नहीं रूकती थी और बार-बार अपने घर आ जाती थी। यह कहना सही है कि आज दिन तक सविता के ससुराल के गांव से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उन्हें यह बताया हो कि सविता को उसका पति या उसके परिवार वाले परेशान करते हो। यह कहना सही है कि सविता को जब उसने हॉस्पीटल में देखा तो उसके ईलाज के लिए उसके साथ उसके ससुराल वाले दुर्गेश व उसके पिता व अन्य मौजूद थे। यह कहना सही है कि सोहनलाल और दुर्गेश अच्छे इंसान है।

20. गवाह पी.ड.5 लोगर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब डेढ़ साल पहले मन्नाराम ने उसे घर बुलाया और बताया कि सविता के पति ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। सुबह वह तथा सविता के माता-पिता व अन्य परिवार वाले सभी खमनौर हॉस्पीटल पर गये जहां सविता की लाश को देखा तो सविता के लाश के दोनों पैर टूटे हुए थे और सिर में लगी हुई होकर खून आ रहे थे और शरीर के अन्य भागों में नील जमी हुई थी। उन्हें पता चला कि सविता का पति सविता के उपर शंका करता था और इसी शंका के कारण सविता के पति ने सविता को लठ से मारकर हत्या कर दी। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

21. गवाह पी.ड.5 लोगर ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि मृतका सविता उसकी पोती लगती थी। उसे नहीं पता उन कागजों में क्या लिखा हुआ था। कुछ लिखा था या नहीं यह भी वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसने आज दिन तक दुर्गेश या उसके परिवार वालों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि ये लोग अपने परिवार की औरतों को परेशान करते हो। यह कहना सही है कि सभी ने सविता को अच्छे से देखभाल करके सगाई की थी। दुर्गेश के साथ सविता की सगाई करीब 5 से 7 साल रही। यह कहना सही है कि सविता अपने ससुराल नहीं रूकती थी और बार-बार अपने घर आ जाती थी। यह कहना सही है कि आज दिन तक सविता के ससुराल के गांव से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उन्हें यह बताया हो कि सविता को उसका पति या उसके परिवार वाले परेशान करते हो। यह कहना सही है कि सविता को जब उसने हॉस्पीटल में देखा तो

उसके ईलाज के लिए उसके साथ उसके ससुराल वाले दुर्गेश व उसके पिता व अन्य मौजूद थे। यह कहना सही है कि सोहनलाल और दुर्गेश अच्छे इंसान है।

22. गवाह पी.ड.6 पप्पु ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके छोटे भाई की शादी सविता के साथ में करवाई जिनके बीच में क्या झगड़ा हुआ उसे पता नहीं। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी-11 बनाना जिस पर उसकी अंगुठा निशानी होना कहा है।

23. गवाह पी.ड.6 पप्पु ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि घटना के दिन वह घर पर नहीं था। सविता की मृत्यु के संबंध में उसे उसके घर वालों ने कोई जानकारी नहीं दी। सविता उसके घर के आगे जो चबूतरी है जिससे करीब 15 फीट की गहराई पर खेत है वहां मौजूद कंकरीले पत्थरों की चट्टान पर गिरी पड़ी उसके परिजनों को मिली थी। सविता के साथ जिस वक्त घटना घटित हुई उस वक्त घर पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसने सविता की लाश को कभी नहीं देखा इसलिए नहीं बता सकता कि उसे कहां-कहां चोटें आयी और वह कैसे मरी।

24. गवाह पी.ड.8 नानालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके पोते दुर्गा व उसकी पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसे पता नहीं। वह बकरियों के साथ था। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने प्रदर्श पी-15 का ई से एफ भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है।

25. गवाह पी.ड.8 नानालाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि वह सवेरे जब बकरियों के साथ चराने गया तब दुर्गेश घर पर नहीं था ना ही शाम को जब वह वापस बकरियां लेकर घर लौटा तो दुर्गेश घर पर था। दुर्गेश को मानसिक बीमारी है जो काफी समय से बीमार है। जब वह घर पर पहुंचा तो आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो हल्ला हो रहा था। मौके पर मौजूद लोगों से उसे यह जानकारी मिली कि सविता जो अपनी बीमारी का बहाना कर पीछे अकेली घर पर ही रूक गयी थी वो मकान के आगे स्थित चबूतरे से बीड़े की पथरीली जमीन पर गिर गयी और उसकी इस वजह से मौत हो गयी।

26. गवाह पी.ड.9 लाला ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार साले पहले सविता के पिता मन्नाराम ने उन्हें घर बुलाया और बताया कि सविता के पति ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। दूसरे दिन वे खमनौर हॉस्पीटल पर गये जहां सविता की लाश को देखा तो सविता की लाश के दोनों पैर टूटे हुए थे और सिर में लगी हुई होकर खून आ रहे थे और शरीर के अन्य भागों में नील जमी हुई थी। उन्हें पता चला कि सविता का पति

सविता के उपर शंका करता था और इसी शंका के कारण सविता के पति ने सविता को लठ से मारकर हत्या कर दी। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर है।

27. गवाह पी.ड.9 लाला ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि पुलिस वालों ने सुबह 11 बजे घटना की सूचना दी थी जिस पर वह, भंवर, प्रताप, लोगर, मोहन, मन्ना खमनौर हॉस्पीटल आये थे। सोहनलाल व दुर्गेश भी हॉस्पीटल में ही थे। सविता उसकी भतीजी लगती थी। सविता के साथ उक्त घटना से पूर्व उसने कभी यह बात किसी से नहीं सुनी कि सविता का पति दुर्गेश या उसके ससुराल वाले उसे अच्छा नहीं रखते या उसके साथ क्रूरता करते हो। सविता के साथ कोई घटना होते हुए उसने नहीं देखी। उसे आज दिन तक सविता के ससुराल का कोई ऐसा व्यक्त नहीं मिला जिसने उन्हें आकर यह बताया हो कि सविता का पति दुर्गेश व उसका ससुर सोहन व अन्य ससुराल वाला कोई भी उसे अच्छा ना रखते हो। पुलिस में उसके कभी कोई बयान नहीं हुए। उसके सिर्फ हस्ताक्षर करवाये थे जो खमनौर हॉस्पीटल में करवाये थे। फर्दों में क्या लिखा पढ़ी कर रखी थी यह उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि सोहन व दुर्गेश उसे हॉस्पीटल में मिले थे लेकिन उनके कपड़ों पर कोई खून के निशान नहीं थे। यह कहना सही है कि सविता किसी उंचाई से गिरकर चोटिल हो गयी हो तथा मर गयी हो तो भी वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति आज दिन तक नहीं मिला कि जिसने बताया हो कि दुर्गेश ने सविता को मारा व उससे उसकी मृत्यु हो गयी हो।

28. गवाह पी.ड.10 सुनकीबाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार साले पहले उसके जेठ ने उसके पति को फोन से सूचना दी कि सविता के पति ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। दूसरे दिन वह, उसका लड़का सुरेश, पति मनाराम व परिवार वाले सभी खमनौर हॉस्पीटल पर गये जहां सविता की लाश को देखा तो सविता के लाश के दोनों पैर टूटे हुए थे और सिर में लगी हुई होकर खून आ रहे थे और शरीर के अन्य भागों में नील जमी हुई थी। उन्हें पता चला कि सविता का पति सविता के उपर शंका करता था और इसी शंका के कारण सविता के पति ने सविता को लठ से मारकर हत्या कर दी।

29. गवाह पी.ड.10 सुनकीबाई ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि सविता उसकी लड़की का नाम है। दुर्गेश से सगाई एक वर्ष तक रही। यह कहना सही है कि दुर्गेश के बारे में सविता ने शादी से पूर्व कभी उससे मिली उसकी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। सविता से जोर जबरदस्ती कोई काम भी नहीं करवाते थे। यह कहना सही है कि उसकी लड़की बार बार अपने ससुराल से बिना कहे पीहर आ जाती थी व उसके ससुराल वालों को ढूंढते हुए उनके घर तक आना पड़ता था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सविता से कभी

यह नहीं पूछा कि वो क्यों बिना बताए आ जाती है। यह कहना सही है कि एक बार सविता अपने ससुराल से 7-8 दिन पहले निकली व ढूंढते हुए उसके ससुराल वाले उनके घर तक आ गये थे तब तक वो उसके घर नहीं पहुंची थी। यह कहना सही है कि दुर्गेश स्वभाव से भोला है। यह कहना सही है कि घटना से पूर्व या घटना के बाद आज दिन तक सविता के ससुराल के किसी भी पड़ौसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि सविता के ससुराल वाले सविता को अच्छे से नहीं रखते हो व उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता करते हो। सविता की मृत्यु के बाद वह भी हॉस्पीटल गयी थी जहां सोहन और दुर्गेश हॉस्पीटल में मौजूद नहीं थे। यह कहना सही है कि उसे आज दिन तक सविता के ससुराल या उसके ससुराल के परिवार या ससुराल के गांव में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश ने सविता को मार डाला हो। यह कहना सही है कि मारूवास के लड़के ही उसकी लड़की सविता को मारकर चले गये हो यह संभव है।

30. गवाह पी.ड.11 प्रताप ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार साले पहले सविता के पिता ने उसे फोन कर बुलाया और बताया कि सविता के पति ने मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है। दूसरे दिन वे खमनौर हॉस्पीटल पर गये जहां सविता की लाश को देखा तो सविता के लाश के दोनों पैर टूटे हुए थे और सिर में लगी हुई होकर खून आ रहे थे और शरीर के अन्य भागों में नील जमी हुई थी। उन्हें पता चला कि सविता का पति सविता के उपर शंका करता था और इसी शंका के कारण सविता के साथ उसके पति दुर्गेश ने लट्ठ व कुदाली से मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा सविता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 व नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया। घटनास्थल से खून आलुदा कंकरी प्रदर्श पी-6 के जरिये जब्त की। फर्द तस्दीक प्रदर्श पी-7 है। घटना में प्रयुक्त लौहे की कुल्हाडी व लट्ठ जरिये प्रदर्श पी-8 जब्त किया। सविता के वक्त घटना पहने हुए खून आलुदा कपड़े जरिये प्रदर्श पी-9 जब्त किये। फर्द बरामदगी स्थल लौहे की कुल्हाडी व डंडे प्रदर्श पी-10 है। इन सभी पर उसके हस्ताक्षर है।

31. गवाह पी.ड.11 प्रताप ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि सविता उसकी पोती लगती है। यह कहना सही है कि मारूवास का लड़का भी सविता की हत्या कर सकता है। वह अपने मकान के आगे बने चबूतरे से जो नीचे स्थित खेतों से करीब 12-15 फीट उंचाई पर होगा तथा जिन पर चारदीवारी नहीं बनी है वहां से गिरकर नीचे पथरीली खुदरीली धरती पर गिरकर आयी चोटों की वजह से मर गयी हो तो भी संभव है। यह कहना सही है कि उसने घटनास्थल पर घटना के कोई आलामात नहीं देखे थे। यह कहना सही है कि उन्हें गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश द्वारा सविता की हत्या कर दी गयी है। यह कहना सही है कि उसके पुलिस ने सभी फर्दों पर हस्ताक्षर एक साथ एक

समय थाने पर करवाये थे। यह कहना सही है कि वो व्यक्ति जिसके साथ वह 7-8 दिन बिना बताये ठहरी थी वही उसे मार गया हो। वह सविता को देखने हॉस्पीटल गया था तब हॉस्पीटल में सोहन व दुर्गेश नहीं थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-8, 9 व 10 पर हस्ताक्षर उसने पुलिस के कहने पर कर दिये थे उनमें क्या लिखा था उसे नहीं पता। जब उसने हस्ताक्षर किये तब ये खाली थे। यह कहना सही है कि सविता की हत्या हुयी या दुर्घटना में मृत्यु अगर मारी गयी तो किसने मारी क्यों मारी कब मारी यह वह नहीं बता सकता। वह घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है।

32. गवाह पी.ड.12 मांगीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार साल पहले वह सोहनलाल के साथ उसके घर गया जहां उसने बताया कि उसके लड़के ने बच्ची सविता को मार दी है। उसने घर जाकर देखा तो बच्ची को गुदडा ओढा रखा था। उस समय सविता मर चुकी थी। सविता के सिर व छाती पर खून आ रहा था। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं।

33. गवाह पी.ड.12 मांगीलाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि प्रदर्श पी-16 के ई से एफ भाग में लिखी बात उसने किसी को नहीं बतायी। यह कहना सही है कि जिस वक्त वह सोहन के घर गया उस समय दुर्गा उर्फ दुर्गेश घर पर नहीं था। यह कहना सही है कि जिस जगह सविता मरी पड़ी हुई थी वहां दरवाजा खुला हुआ था। यह कहना सही है कि उसने घटना से पहले कभी भी सोहन, दुर्गा या उसके परिवार के लोगों को सविता के साथ बुरा बर्ताव करते व मारपीट या झगड़ा करते ना कभी देखा ना कभी सुना। यह कहना सही है कि सविता को कौन आकर मारकर चला गया यह भी वह नहीं बता सकता है। यह कहना सही है कि उसे आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उसे कहा हो कि दुर्गा की पत्नी सविता का उसने कत्ल कर दिया है। उसने घटनास्थल पर घटना में प्रयुक्त किये गये किसी भी हथियार को नहीं देखा।

34. गवाह पी.ड.13 देवली ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसने दुर्गेश की शादी सविता के साथ करवायी। दोनों पति पत्नी लड़ते हो तो उसे पता नहीं। क्या हुआ वो भी उसे पता नहीं। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह कहा है कि दुर्गेश को बचाना है इसलिए बयान देने आयी है।

35. गवाह पी.ड.13 देवली ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि जिस समय चारा काटने गयी उस समय दुर्गेश घर पर नहीं था। दुर्गेश घटना के दिन मजदूरी पर काम धंधे के लिए गया था। प्रदर्श पी-17 पुलिस बयान उसने कभी पुलिस को नहीं दिये। यह कहना सही है कि उसके घर के कमरों के बाहर चबूतरा है जो बीडे से करीब 15 फीट

उंचा है जहां से गिरने की वजह से आयी चोटों के कारण वह गिर कर मर गयी हो तो भी वह नहीं बता सकती। वह जब घर पर पहुंची तब उसने ऐसे कोई हथियार नहीं देखे जिन पर वारदात के सबूत हो। सविता को आयी चोटों की वजह से बहा खून कमरे के अंदर गुदडी पर लगा हुआ था। यह सही है कि सविता दुर्गेश के साथ नहीं रहना चाहती थी व बार-बार अपने पीहर चली जाती थी। यह कहना सही है कि सविता घटना से पहले कई बार बिना बताये घर से चली गयी व कई दिनों बाद वापस अपने पीहर पहुंची। सविता दुर्गेश के साथ नहीं रहना चाहती थी दूसरी जगह नाता जाना चाहती थी। यह सही है कि दुर्गेश के दिमागी बीमारी का इलाज चलता है। उसने दुर्गेश व सविता को कभी झगड़ते नहीं देखा। ना कभी उसके किसी पड़ौसी ने उसे यह बात बतायी कि दुर्गेश व सविता आपस में झगडते हो। सविता को कौन मारकर गया कब मारकर गया यह उसकी जानकारी में नहीं है। आसपास के किसी भी व्यक्ति ने भी घटना की कोई सूचना उसे नहीं दी।

36. गवाह पी.ड.14 मोहनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वर्ष 2020 में क्या हुआ उसे पता नहीं, पुलिस में उसे कोई बयान नहीं हुए। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी-18 का सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

37. गवाह पी.ड.14 मोहनलाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि उसने आज दिन तक किसी के मुंह से यह नहीं सुना कि दुर्गेश या सोहनलाल ने सविता की मृत्यु कारित की हो। यह कहना सही है कि उसने आज दिन तक दुर्गेश व सविता के मध्य लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी। यह कहना सही है कि सोहनलाल व दुर्गेश का पूरा परिवार कहीं बाहर था और पीछे से कोई आकर सविता को घर पर मारकर चला गया।

38. गवाह पी.ड.15 मीठालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दुर्गेश की पत्नी के साथ क्या हुआ उसे पता नहीं। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी-19 का सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। प्रदर्श पी-19 का ई से एफ भाग उसने पुलिस को नहीं लिखवाया।

39. गवाह पी.ड.15 मीठालाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि दुर्गेश के परिवार वाले सविता को अच्छे से रखते थे। दुर्गेश व उसके परिवार वालों द्वारा सविता के साथ उसने कभी लड़ाई झगड़ा व मारपीट वाली बात नहीं सुनी। सविता की मौत कहां, कैसे, कब व किस तरह हुई यह वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसने आज दिन तक किसी से सविता की मौत दुर्गेश द्वारा कारित किये जोन की बात नहीं सुनी। यह कहना सही है कि

दुर्गेश सीधा साधा लड़का है जिसे उसने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा।

40. गवाह पी.ड.17 नानालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार वर्ष पूर्व वह मोकेला बावजी से घर जा रहा था। शाम को 6 बजे घर आया तो देखा कि घर के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे थे। उसे पता चला कि दुर्गेश ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश घर के अंदर पड़ी हुई थी। लाश के उपर गुदडा डाल रखा था। उस समय तक सविता मर चुकी थी। उसने देखा तो सविता के सिर पर लगी हुई थी।

41. गवाह पी.ड.17 नानालाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि वह उस दिन सोहन के घर नहीं गया। सविता को किसने मारा कब मारा कैसे मारा यह उसे नहीं पता। इसने आत्महत्या की या किसी ने मार डाला यह भी वह नहीं बता सकता। कहीं से गिर कर मर गयी हो तो भी उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि गांव में उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश ने सविता की हत्या कर दी हो। उसने सविता की लाश को नहीं देखा। सविता की मृत्यु कैसे हुई यह वह नहीं बता सकता है।

42. गवाह पी.ड.18 कमलीया ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब चार साल पहले वह मजदूरी कर शाम करीब 6 बजे घर पहुंचा तो बाहर देखा कि लोग इकट्ठा हो रहे थे जहां जाकर पता चला कि दुर्गा उर्फ दुर्गेश ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। वह उसके घर पर नहीं गया। उसने लाश भी नहीं देखी। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी-23 का सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखवाया।

43. गवाह पी.ड.18 कमलीया ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि उसने आज दिन तक सविता की मृत्यु से पूर्व या अब तक कभी यह बात नहीं सुनी कि सविता व उसके पति दुर्गेश की नहीं बनती थी तथा मारपीट करता हो। उसे किसी भी पडौसी ने यह बात नहीं बतायी कि सविता की मृत्यु दुर्गेश की वजह से हुई हो। यह कहना सही है कि अगर इतनी उंचाई से कोई बीडे की तरफ गिर जाये तो भी हाथ पैर टूटना या मरना मुमकिन है। यह कहना सही है कि उसने उस दिन भी यह सुना कि सोहन के परिवार के सारे लोग घर से कहीं बाहर थे व पीछे सविता मरी मिली। इसको कौन मार कर गया व कैसे मरी यह उसे जानकारी नहीं है।

44. गवाह पी.ड.1 नानकीबाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि करीब एक वर्ष पूर्व की बात है वह घर पर नहीं थी। पुलिस में उसके बयान नहीं हुए। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण

में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी-1 की ए से बी बात उसने नहीं लिखाई। प्रदर्श पी-1 का सी से डी भाग व ई से एफ भाग भी उसने पुलिस को नहीं बताया। यह कहना गलत है कि दुर्गेश और उसकी पत्नी के बीच कोई विवाद है।

45. गवाह पी.ड.1 नानकीबाई ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि सविता की मृत्यु कैसी हुई उसे नहीं पता। सविता खुले मकान में मरी पड़ी हुई मिली थी जिसके आसपास कोई औजार जैसे कुल्हाडी, लकडी इत्यादि कोई हथियार पडा हुआ नहीं देखा था।

46. गवाह पी.ड.24 प्रतापी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके देवर की सविता से शादी हुई थी। उसके देवर का नाम दुर्गेश है। उसने दुर्गेश व सविता के बीच कभी किसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी। यह उसे नहीं पता कि सविता को उसके पिताजी ने कुण्डाल लेकर गये हो। इस गवाह को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं।

47. गवाह पी.ड.24 प्रतापी ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा उसके इस घटना के संबंध में कभी कोई बयान नहीं लिये गये। यह कहना सही है कि सविता के साथ जब घटना घटित हुई तब वह घर पर नहीं थी। यह कहना सही है कि जब वह घर से निकली तब भी दुर्गेश घर पर नहीं था। सोहन व परिवार के अन्य सदस्य भी बीड़े में चारा कटाने गये थे। यह कहना सही है कि घटना के दिन दुर्गेश घर पर ही नहीं था। उसने आज दिन तक दुर्गेश और सविता के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी न ही सविता के चरित्र पर संदेह वाली बात सुनी। यह कहना सही है कि सोहन व दुर्गेश का व्यवहार उसके प्रति भी कभी गलत नहीं रहा और न ही सविता के प्रति गलत था। यह कहना सही है कि जब वह घर पर लौटी तब घर के किंवाड खुले पड़े थे। यह कहना सही है कि सविता के साथ कौन घटना कारित करके गया यह आज दिन तक पता नहीं चला।

48. गवाह पी.ड.16 विक्रमसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 07.12.2020 को पुलिस थाना खमनौर की तहरीर प्रदर्श पी-20 पर उसके द्वारा दिनांक 18.12.2020 को दुर्गा उर्फ दुर्गेश के रिहायशी मकान का राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस की प्रति दी गई। नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-21 व जमाबंदी की नकल प्रदर्श पी-22 है।

49. गवाह पी.ड.16 विक्रमसिंह ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि प्रदर्श पी-22 जमाबंदी के अनुसार उसने जिस सम्पत्ति का राजस्व रेकार्ड उसने पुलिस को उपलब्ध कराया जो नानुलाल पिता तेजा भील के नाम दर्ज है। यह कहना सही है कि रेवेन्यू रेकार्ड को देखकर वह नहीं बता सकता कि यह सम्पत्ति वास्तविक आधिपत्य में किसके है। यह कहना सही

है कि प्रदर्श पी-21 व 22 उसने पटवार मण्डल कार्यालय पर बैठकर तैयार किया था एवं पुलिस को उपलब्ध कराया था।

50. गवाह पी.ड.7 जोधाराम व पी.ड.19 हीराराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-13 व फर्द जब्ती कपडे अभियुक्त प्रदर्श पी-14 पर उनके हस्ताक्षर है।

51. गवाह पी.ड.7 जोधाराम ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि मुल्जिम दुर्गेश को थानाधिकारी द्वारा थाना परिसर में ही गिरफ्तार किया गया। वक्त गिरफ्तारी अभियुक्त ने हरे कलर का जींस व हरे व नीले रंग का शर्ट पहन रखा था जिसमें सफेद व स्लेटी कलर के धब्बे भी थे जिसे आई ओ द्वारा वजह सबूत जब्त किये गये। आई ओ द्वारा वक्त गिरफ्तारी एवं जब्ती की कार्यवाही के वक्त किसी स्वतंत्र मौतबीर को तलाश करने का प्रयास किया गया या नहीं यह उसकी जानकारी में नहीं है।

52. गवाह पी.ड.19 हीराराम ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि अभियुक्त दुर्गेश की गिरफ्तारी थाने पर ही की गयी थी। अभियुक्त की जामा तलाशी में कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। मुल्जिम को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कपड़े पर उसने खून के निशान देखे थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-13 व 14 कायम करते समय आई ओ द्वारा किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साथ नहीं लिया गया था।

53. गवाह पी.ड.20 मोहनलाल पिता दौलतराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 08.12.2020 को प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल मार्क-ए, बी, सी, डी व ई मय अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-25 के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने हेतु संभलाए जिसे वह लेकर एसपी कार्यालय राजसमन्द पहुंच वहां से विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-24 तैयार करा विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर पहुंच आर्टिकल जमा कराकर रसीद प्रदर्श पी-26 प्राप्त की एवं पुनः थाने पर आकर प्राप्ति रसीद मालखाना प्रभारी को संभलाई।

54. गवाह पी.ड.20 मोहनलाल पिता दौलतराम ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि उसकी थाने से रवानगी और आमद पत्रावली पर नहीं है। जब्त आर्टिकल जो उसे संभलाये थे वे संख्या में 5 थे जो सफेद रंग की थैली में थे जिनके मुंह धागे से बांधे हुए थे।

55. गवाह पी.ड.21 राजुलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 30.11.2020 को अनुसंधान अधिकारी कैलाश के द्वारा उसे मार्क-ए खून आलुदा घटना स्थल की सीमेंट व कंकरीट, मार्क-बी कंट्रोल सैम्पल सीलचिट अवस्था में उसे दिये। उसी दिन दुर्गा उर्फ दुर्गेश के वक्त घटना पहने हुए कपडे उसे सीलचिट अवस्था में संभलाये जो उसने

मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर आर्टिकल को सुरक्षित रखे। दिनांक 02.12.2020 को घटना में प्रयुक्त लौहे की कुदाली व लकड़ी के डण्डे दो टुकड़े सीलचिट अवस्था में मार्क-डी. व मार्क-ई अंकित उसे संभलाये जिसने उसने सुरक्षित रखे। आर्टिकल ए, बी, सी, डी व ई को एफएसएल जमा कराने हेतु दिनांक 08.12.2020 को कानि. मोहनलाल को संभलाये जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करा मय अग्रेषण पत्र की रसीद उसे लाकर संभलायी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-27 व 28 है जिनकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-27 ए व प्रदर्श पी-28 ए है।

56. गवाह पी.ड.21 राजुलाल ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-27 व 28 पर जिसने उसे संभलाया उसके हस्ताक्षर नहीं है।

57. गवाह पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला व पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 29.11.2020 को पुलिस थाना खमनौर की तहरीर प्रदर्श पी-29 पर मृतका सविता की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने बाबत् तहरीर प्राप्त होने पर उनके द्वारा मृतका की लाश का पोस्टमार्टम किया। मृतका के दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी तथा लेफ्ट लेग व राईट थाई पर निलगू, राईट ग्लुटन रिजन पर निलगू, राईट साईड ऑफ बेक रिजन पर खरोंच, राईट थाई पर एवरेजन, चेस्ट रिजन पर खरोंच, सिर फटा हुआ, राईट शोल्डर रिजन पर खरोंच, लेफ्ट शोल्डर रिजन पर एवरेजन थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-30 है।

58. गवाह पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि उसके चिकित्सकीय परीक्षण से मृतका के सिर में लगी जो उसकी मृत्यु का कारण बना। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पोस्टमार्टम में अंकित करवायी गयी चोटें अगर कोई व्यक्ति 12 से 15 फीट की उंचाई से किसी कठोर धरातल पर गिर जाये तो भी आना संभव है लेकिन नुकीली धरातल पर गिरने से इस प्रकार की चोट नहीं आ सकती। यह वह नहीं बता सकता कि मृत्यु का कारण स्वाभाविक था या कोई दुर्घटना थी।

59. गवाह पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि यह सही है कि सविता को समय रहते उपचार मिल जाता तो उसकी जान बचायी जा सकती थी। मृतका की मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट था। यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि उपरोक्त चोटें किस प्रकार व किस हथियार से कारित हुई है। यह सही है कि परीक्षण के दौरान शव के ब्लड सैम्पल व विसरा के सैम्पल नहीं लिये थे। यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का ब्लड ग्रुप भी अंकित नहीं है।

60. गवाह पी.ड.23 कैलाशसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 29.11.2020 को सीएचसी खमनोर पर प्रार्थी कन्ना पिता दौला

गमेती द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत की जिस पर उसके द्वारा प्रकरण संख्या 237/20 धारा 302 भादस में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मृतका सविता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया। मृतका की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने बाबत तहरीर प्रदर्श पी-29 एमओ को दी। मृतका सविता की लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसके वारिसानों को सुपुर्द की जिसकी फर्द प्रदर्श पी-4 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान नानालाल, मांगीलाल, देवलीबाई, मोहनलाल, मीठालाल, मन्नाराम, मोहनलाल, सुनकी, भंवरलाल, लोगर, प्रताप, लाला, प्रतापी, मोहनलाल, राजुलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। घटना स्थल पहुंच उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 बनाया। घटना स्थल से खुनआलुदा सीमेंट की कंकरीट वजह सबूत प्रदर्श पी-6 के जब्त की। उसके द्वारा फर्द सूरतेहालात मृतका सविता की लाश का प्रदर्श पी-12 बनाया। उसके द्वारा अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश को थाने से गिरफ्तार किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी-13 है। अभियुक्त द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द सूचना प्रदर्श पी 31 व 32 पेश की। मुताबिक सूचना घटना स्थल पर पहुंच घटना स्थल तस्दीक फर्द प्रदर्श पी 7 मुर्तीब की। मुताबिक फर्द सूचना के मुल्जिम के द्वारा वक्त घटना कुदाली व डंडा मारपीट में उपयोग में लिया गया जो जब्त किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 8 है। वक्त घटना मृतका द्वारा पहने हुए कपडे जरिये फर्द जब्त किए जिसकी फर्द प्रदर्श पी 9 है। फर्द बरामदगी स्थल लोहे की कुदाली प्रदर्श पी 10 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा घटना के समय दुर्गा उर्फ दुर्गेश के वक्त घटना खुन लगे हुए कपडे जब्त किए जिनकी फर्द प्रदर्श पी 14 है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान अभियुक्त के आवासीय मकान के रिकॅार्ड के संबंध में तहरीर प्रदर्श पी 20 जारी की। मकान का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-21 है। उक्त मकान का जमाबंदी की नकल प्रदर्श पी-22 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा जब्त शुदा आर्टिकल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाने बाबत अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-25 दिया। उक्त प्रकरण की चाक एफआईआर प्रदर्श पी-33 है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर उसके द्वारा शामिल पत्रावली की गयी जो प्रदर्श पी-30 है। अभियुक्त दुर्गा की गिरफ्तारी की सूचना उसके वारिसानों को दी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 34 है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मृतका के व घटना स्थल के फोटोग्राफ खींचे जो प्रदर्श पी 35, 36 व 37 है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 38 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश व सोहनलाल के विरूद्ध धारा 302, 201 भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाने से न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

61. गवाह पी.ड.23 कैलाशसिंह ने अपने प्रतिरीक्षण में कहा है कि प्रदर्श पी-2 इत्तला रिपोर्ट के एक्स स्थान पर दिनांक में जो कांटा फांसी है किसके द्वारा की गयी यह वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसकी तफ्तीश से रिपोर्ट कर्ता वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं होना ज्ञात आया। यह उसे नहीं पता कि परिवादी को यह किसने बताया कि सविता की हत्या दुर्गेश ने की है। यह कहना सही है कि उसकी तफ्तीश से मोहनलाल भी वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं था। सविता की हत्या उसके पति दुर्गेश ने की है इसकी जानकारी मोहनलाल को कहां से हुई यह मोहनलाल ही बता सकता है। यह कहना सही है कि रिपोर्ट दिये जाने से पहले पुलिस ने मौका देख लिया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल का नक्शा मौका बनाते समय भी घटनास्थल से कोई बरामदगी नहीं हुई। अभियुक्त दुर्गेश की गिरफ्तारी दिनांक 30.11.2020 की है व बरामदगी 02.12.2020 की है। यह सही है कि उसने बरामदगी अभियुक्त द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गयी इत्तला के आधार पर की थी। उसने अपनी तफ्तीश के दौरान मृतका सविता की कॉल डिटेल्स प्राप्त नहीं की। यह सही है कि बरामदगी स्थल व घटनास्थल एक ही परिसर है। यह सही है कि बरामदगी स्थल एक ही घर का हिस्सा है। यह कहना गलत है कि उसके अनुसंधान में ऐसा कोई पडौसी ज्ञात नहीं आया हो जिसने दुर्गेश द्वारा सविता की हत्या करना कहा हो बल्कि गवाह मांगीलाल पिता तख्ता गमेती ज्ञात आया था जो हियरसे साक्ष्य था प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसकी तफ्तीश से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ज्ञात नहीं आया। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल पर कोई ताला कुंची की हुई नहीं थी। यह सही है कि बरामदगी स्थल खुला स्थान बकरी बांधने का था जहां कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान से यह ज्ञात नहीं आया कि मृतका ने अंतिम बार किससे व कब बात की थी। यह सही है कि बरामद किये गये हथियार पर फिंगर प्रिंट नहीं लिये गये और न ही अभियुक्त के फिंगर प्रिंट से बरामदशुदा हथियार पर उपलब्ध फिंगर प्रिंट से मिलान करवाये गये। मृतका की हत्या का उद्देश्य दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना प्रकट हुआ था। यह सही है कि लड़ाई झगडा किस बात को लेकर होता है यह उसे नहीं मालूम है। यह कहना सही है कि उसके समक्ष सविता ने अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ घटना से पूर्व कोई शिकायत नहीं की थी। उसके अनुसंधान में यह आया कि मृतका सविता की लाश को सर्वप्रथम सोहनलाल ने देखा था और मांगीलाल को बताया था। यह कहना सही है कि उस वक्त अभियुक्त दुर्गेश मौके पर होना ज्ञात नहीं आया।

62. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य में सर्वप्रथम चिकित्सकीय साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार प्रकरण में मृतका सविता के सिर पर कुदाली

व डण्डे से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गई है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.23 कैलाशसिंह ने मृतका सविता के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाकर मृतका सविता के शव का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी-30 मेडिकल बोर्ड से करवाया है। गवाह पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने मृतका सविता की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-3 बनाया है जिसकी पुष्टि पी.ड.2 मन्नाराम, पी.ड.3 मोहन, पी.ड.4 भंवरलाल, पी.ड.5 लोगर व पी.ड.11 प्रताप ने अपने अपने बयानों में की है। मृतका सविता की लाश का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी-30 मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया है। गवाह पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला व पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने मृतका सविता के शव का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-30 तैयार की है। गवाह पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला के बयानों के अनुसार पोस्टमार्टम के दौरान मृतका सविता के दोनों पैरों की हड्डियां टूटी होकर सिर पर घाव थे और मृत्यु का कारण सिर में आयी गंभीर चोट की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मृतका सविता की मृत्यु का कारण सिर में आयी गंभीर चोट होना पाया गया था। दोनों ही चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला व पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतका की मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट थी। अतः चिकित्सकीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि दिनांक 28.11.2020 को मृतका सविता की मृत्यु किसी दुर्घटनावश अथवा प्राकृतिक नहीं होकर मानव वध था एवं मृतका सविता की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है।

63. अब न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश ने मृतका सविता की हत्या कारित की है?

64. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। यह प्रकरण पूर्णरूपेण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अनुसंधान अधिकारी पी.ड.23 कैलाशसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं होना स्वीकार किया है।

65. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **शरद विरदीचंद बी. शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी.आर.एल. आर. 1984 (4) एस.सी.सी. पेज 296** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को निस्तारित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसमें पांच स्वर्णिम सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं किः-

"1. ऐसी परिस्थितियों को जिनके अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित किया जा रहा है, वे पूरी तरह से साबित होनी चाहिए।

2. ऐसे तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए जो अभियुक्त और उसके द्वारा किये गये अपराध से संबंधित हों और उनका स्पष्टीकरण संभव नहीं हो। केवल ऐसी परिस्थितियों का तात्पर्य यह होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

3. ऐसी सभी परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त का दोष साबित होता हो, वे प्रकृति में निश्चयात्मक होनी चाहिए।

4. ऐसी परिस्थितियां साबित होने के अलावा किसी भी संभाव्यता की ओर इंगित नहीं होनी चाहिए।

5. परिस्थितिजन्य साक्ष्य को एक कडी के रूप में होना चाहिए। उसमें किसी ऐसे प्रकार की युक्तियुक्त संभावना नहीं होनी चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति निर्दोष है बल्कि उसमें संपूर्ण मानव अधिसम्भाव्य होनी चाहिए कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है।

66. इस प्रकार से उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को एक कडी के रूप में ही होना चाहिए। चूंकि प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य की विवेचना निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर किया जाना आवश्यक है:-

1. Last Seen Theory (ऐसे साक्षीगण जिन्होंने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा है)

2. Motive (घटना कारित करने बाबत् अभियुक्त का आशय)

3. अभियुक्त से हुई बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना

1. <u>Last Seen Theory (ऐसे साक्षीगण जिन्होंने मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा है)</u>

67. प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 के आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी-33 दर्ज हुई है जो रिपोर्ट पी.ड.2 मन्नाराम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मन्नाराम ने दिनांक 28.11.2020 को उसके बड़े भाई मोहनलाल द्वारा उसे मोबाईल से करीब 8.00 पी.एम. पर सूचना देना कि आज दिन में सविता के साथ उसके पति ने उसके घर पर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। लाश को उसने व सभी ने देखा तो सविता के दोनों पैर घुटनों के नीचे से टूटे हुए, सिर पर चोट का गहरा घाव होकर खून से लथपथ, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मारपीट के निशान की नील जमीं हुई होने बाबत् कथन किये हैं। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 के अनुसार घटना के समय घर

पर मृतका सविता व अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश ही थे। गवाह पी.ड.2 मन्नाराम ने अपने सम्पूर्ण बयानों में यह कथन नहीं किया है कि घटना के समय अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश उसकी पत्नी सविता के साथ घर पर ही हो बल्कि पी.ड.2 मन्नाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में सविता को मारने वाली बात उसके भाई मोहन द्वारा उसे बताना स्वीकार किया है। पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतका की हत्या का उद्देश्य दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना प्रकट हुआ था परन्तु अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त दुर्गेश व मृतका सविता के मध्य आपसी लड़ाई झगड़ा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। पी.ड.2 मन्नाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि जब कभी सविता उसके घर पर आयी तब उसने कभी भी अपने पति व ससुराल वालों की कोई शिकायत नहीं की थी और यह भी स्वीकार किया कि आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश ने सविता की मृत्यु कारित की हो। इस प्रकार गवाह पी.ड.2 मन्नाराम के बयानों के अनुसार गवाह मन्नाराम ने अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश व मृतका सविता को एक साथ अंतिम बार घटना से पूर्व नहीं देखा है। घटना की जानकारी मन्नाराम को सर्वप्रथम गवाह पी.ड.3 मोहन द्वारा दी गई है।

68. गवाह पी.ड.3 मोहन इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी है और इस साक्षी ने घटना की जानकारी मृतका सविता के पिता पी.ड.2 मन्नाराम को दी है। पी.ड.3 मोहन ने अपने बयानों में खमनौर थाने से उसे फोन आना कि सविता के पति ने सविता को मार दिया कहा है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में उसका हॉस्पीटल में जाना जहां सविता की लाश को देखना जिसके दोनों पैर टूटे होना व सिर पर चोट, घाव व पूरे शरीर में खून जमा होना कहा है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में पी.ड.3 मोहन ने यह स्वीकार किया है कि सविता की मौत से पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे यह नहीं बताना कि सविता का पति या ससुराल वाले सविता के साथ बुरा बर्ताव करते हो या क्रूरता करते हो और यह भी स्वीकार किया कि उसे अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह बताया हो कि सविता को उसके पति ने मार डाला। पी.ड.3 मोहन ने यह भी स्वीकार किया कि किसी ओर ने मार दिया हो तो भी वह कह नहीं सकता है। इस गवाह ने अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश एवं मृतका सविता के मध्य किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो या घटना से पहले देखा हो इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार गवाह पी.ड.3 मोहन ने भी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश व मृतका सविता को एक साथ अंतिम बार घटना से पूर्व नहीं देखा है।

69. गवाह पी.ड.4 भंवरलाल एवं पी.ड.5 लोगर ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि मन्नाराम द्वारा उन्हें घर बुलाकर बताना कि सविता के पति ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा सविता की लाश को देखने पर उसके दोनों पैर टूटे होना, सिर में लगी होकर खून आ रहा होना तथा सविता के पति द्वारा सविता पर शंका करना जिस कारण सविता के पति द्वारा लठ से मारकर हत्या कर देना कहा है परन्तु पी.ड.5 लोकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में सविता के ससुराल वाले या उसके पति द्वारा मारपीट करने या लड़ाई झगडा करते हो इस संबंध में कोई बात नहीं सुनना स्पष्टतया कहा हैं। इन गवाह के समक्ष कभी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश व मृतका सविता के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो अथवा दोनों को अंतिम बार साथ में देखा हो इस बाबत् भी इन साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये है। ऐसी स्थिति में गवाह पी.ड.4 भंवरलाल एवं पी.ड.5 लोगर के बयानों के अनुसार भी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश को घटना से पूर्व मृतका सविता के साथ अंतिम बार नहीं देखा गया है।

70. गवाह पी.ड.9 लाला, पी.ड.10 सुनकीबाई एवं पी.ड.11 प्रताप ने अपने मुख्य परीक्षण में सविता के पिता मन्ना द्वारा उन्हें घर बुलाकर यह बताना कि सविता के साथ उसके पति दुर्गेश ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी जिस पर उनका हॉस्पीटल जाना जहां सविता की लाश को देखना, सविता के दोनों पैर टूटे हुए खून लगा होना, सिर पर घाव होना और बाद में पता चलना कि सविता के पति ने सविता के साथ लट्ठ से मारपीट कर हत्या कर दी कहा है परन्तु पी.ड.9 लाला ने अपने प्रतिपरीक्षण में सविता के साथ कोई घटना होते हुए उसके द्वारा नहीं देखना कहा है और यह भी स्वीकार किया कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति आज दिन तक नहीं मिला जिसने बताया हो कि दुर्गेश ने सविता को मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हो। पी.ड.10 सुनकीबाई ने भी अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति आज दिन तक नहीं मिला जिसने बताया हो कि दुर्गेश ने सविता को मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हो। इन गवाहों के समक्ष कभी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश व मृतका सविता के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो अथवा दोनों को अंतिम बार साथ में देखा हो इस बाबत् भी इन साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये है बल्कि गवाह पी.ड.10 सुनकीबाई ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मारूवास के लड़के ही उसकी लड़की सविता को मारकर चले गये हो यह संभव है। ऐसी स्थिति में गवाह पी.ड.9 लाला, पी.ड.10 सुनकीबाई एवं पी.ड.11 प्रताप के बयानों के अनुसार भी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश को घटना से पूर्व मृतका सविता के साथ अंतिम बार नहीं देखा गया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.23 कैलाशसिंह ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उस वक्त अभियुक्त दुर्गेश मौके पर होना ज्ञात नहीं आया।

71. गवाह पी.ड.17 नानालाल ने अपनी साक्ष्य में दुर्गेश द्वारा उसकी पत्नी के साथ मारपीट करना जिससे उसकी मृत्यु हो जाना और सविता के सिर पर लगी होना कहा है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने सविता को किसने मारा कब मारा कैसे मारा यह उसे पता नहीं होना, सविता ने आत्महत्या की या किसी ने मार डाला यह भी उसके द्वारा नहीं बता सकना कहा है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के बयानों के अनुसार भी अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश को घटना से पूर्व मृतका सविता के साथ अंतिम बार नहीं देखा गया है।

72. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.6 पप्पु, पी.ड.8 नानालाल, पी.ड.12 मांगीलाल, पी.ड.13 देवली, पी.ड.14 मोहनलाल, पी.ड.15 मीठालाल एवं पी.ड.18 कमलीया अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साबित हुए हैं और उक्त गवाहान ने अभियोजन प्रकरण का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि अभियुक्त एवं मृतका सविता को अंतिम बार साथ में देखा हो इस बाबत् भी इन साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये है।

73. न्यायिक दृष्टान्त **MD Bani Alam Mazid @ Dhan Vs state of Assam, Criminal Appeal No.1649/2011 on 24.02.2025** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

"30. In State of Goa Vs. Sanjay Thakran, this Court held that the circumstance of last seen together would normally be taken into consideration for finding the accused guilty of the offence charged with when it is established by the prosecution that the time gap between the point of time when the accused and the deceased were found together alive and when the deceased was found dead is so small that possibility of any other person being with the deceased could completely be ruled out. However, in all cases, it cannot be said that the evidence of last seen together has to be rejected merely because there is a time gap between the accused and the deceased last seen together and the crime coming (2007) 3 SCC 755 to light is after a considerable long duration. If the prosecution is able to lead evidence that likelihood of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible then the evidence of the circumstance of last seen together although there is a long duration of time in between can be considered as one of the circumstances in the chain of circumstances to prove the guilt against such accused persons. This Court held as follows:

> 34. From the principle laid down by this Court, the circumstance of last seen together would normally be taken into consideration for finding the accused guilty of the offence charged with when it is established by the prosecution that the time gap between the point of time when the accused and the deceased were found together alive and when the deceased was

found dead is so small that possibility of any other person being with the deceased could completely be ruled out. The time gap between the accused persons seen in the company of the deceased and the detection of the crime would be a material consideration for appreciation of the evidence and placing reliance on it as a circumstance against the accused. But, in all cases, it cannot be said that the evidence of last seen together is to be rejected merely because the time gap between the accused persons and the deceased last seen together and the crime coming to light is after (sic of) a considerable long duration. There can be no fixed or straight jacket formula for the duration of time gap in this regard and it would depend upon the evidence led by the prosecution to remove the possibility of any other person meeting the deceased in the intervening period, that is to say, if the prosecution is able to lead such an evidence that likelihood of any person other than the accused, being the author of the crime, becomes impossible, then the evidence of circumstance of last seen together, although there is long duration of time, can be considered as one of the circumstances in the chain of circumstances to prove the guilt against such accused persons. Hence, if the prosecution proves that in the light of the facts and circumstances of the case, there was no possibility of any other person meeting or approaching the deceased at the place of incident or before the commission of the crime, in the intervening period, the proof of last seen together would be relevant evidence. For instance, if it can be demonstrated by showing that the accused persons were in exclusive possession of the place where the incident occurred or where they were last seen together with the deceased, and there was no possibility of any intrusion to that place by any third party, then a relatively wider time gap would not affect the prosecution case.

31. This Court in Kanhaiya Lal Vs. State of Rajasthan4 held that the circumstance of last seen together does not by itself lead to the inference that it was the accused who had committed the (2014) 4 SCC 715 crime. There must be something more to establish the nexus between the accused and the crime. Mere non-explanation on the part of the accused by itself cannot lead to proof of guilt against the accused. This Court held thus:

15. The theory of last seen—the appellant having gone with the deceased in the manner noticed hereinbefore, is the singular piece of circumstantial evidence available against him. The conviction of the

appellant cannot be maintained merely on suspicion, however strong it may be, or on his conduct. These facts assume further importance on account of absence of proof of motive particularly when it is proved that there was cordial relationship between the accused and the deceased for a long time. The fact situation bears great similarity to that in Madho Singh v. State of Rajasthan.

32. Anjan Kumar Sarma Vs. State of Assam6 is a case where this Court held that in a case where the other links have been satisfactorily made out and the circumstances point to the guilt of the accused, the circumstance of last seen together and absence of explanation would provide an additional link which completes the chain. In the absence of proof of other circumstances, the only (2010) 15 SCC 588 (2017) 14 SCC 359 circumstance of last seen together and absence of satisfactory explanation cannot be made the basis of conviction.

74. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के आलोक में उपर्युक्त साक्ष्य का विश्लेषण करें तो हस्तगत प्रकरण में भी मृतका सविता को अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश के साथ दिनांक 28.11.2020 को रात्रि 8 बजे के लगभग देखे जाने बाबत् प्रस्तुत अभियोजन साक्षीगण ने कोई कथन नहीं किये हैं। मृतका सविता को घटना से पूर्व अभियुक्त के साथ जीवित अवस्था में देखे जाने बाबत् अभियोजन की साक्ष्य पूर्ण रूप से खण्डित रही है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि मृतका सविता को जीवित अवस्था में अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया हो तथा तत्काल पश्चात् मृतका सविता को मृत अवस्था में पाया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से संदेह से परे नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश ने ही मृतका सविता की हत्या कारित की हो।

75. यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2, गवाह पी.ड.2 मन्नाराम, पी.ड.3 मोहन, पी.ड.4 भंवरलाल व पी.ड.5 लोगर के बयानों के अनुसार सविता का पति सविता पर शंका करता था इस कारण उसके साथ मारपीट की। इस संदर्भ में यदि उक्त गवाहान की साक्ष्य को देखें तो गवाह पी.ड.2 मन्नाराम ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्गेश व उसके परिवार वालों ने कभी सविता के चरित्र को लेकर शंका वाली बात नहीं कही। गवाह पी.ड.3 मोहन ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आखिरी दो से तीन बार सविता अपने ससुराल से बिना बताये निकली और बाद में पीहर आ गयी तथा उसके ससुराल वाले उसे पीछे से ढूंढते फिरते थे। गवाह पी.ड.4 भंवरलाल ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सविता अपने

ससुराल नहीं रूकती थी और बार-बार अपने घर आ जाती थी। पी.ड.5 लोगर ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा ऐसी बात नहीं सुनना कि सविता का पति सविता के साथ मारपीट या लड़ाई करता हो। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश मृतका सविता पर शंका करता हो इस संबंध में कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं आयी है बल्कि अभियुक्त द्वारा मृतका सविता के साथ मारपीट किये जाने का तथ्य भी प्रकट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान पी.ड.1 नानकीबाई, पी.ड.6 पप्पु, पी.ड.8 नानालाल, पी.ड.12 मांगीलाल, पी.ड.13 देवली, पी.ड.14 मोहनलाल, पी.ड.15 मीठालाल व पी.ड.18 कमलीया पक्षद्रोही साबित हुए हैं और उक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

76. इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के तात्विक विरोधाभासी बयानों से अभियुक्त दुर्गा को मृतका सविता के साथ अंतिम बार देखा गया हो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

2. मृतका सविता की हत्या करने का अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश का हेतुक (Motive)

77. दौराने बहस विद्वान् अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि मृतका सविता की हत्या के पीछे अभियुक्त का हेतुक मृतका सविता पर शंका करने का रहा है जिस कारण अभियुक्त दुर्गा ने मृतका सविता के साथ कुदाली व डण्डे से मारपीट कर उसके सिर में गंभीर चोटें कारित की जिससे मृतका सविता की हत्या कारित करना रहा है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.23 कैलाशसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में मृतका की हत्या का उद्देश्य दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा होना प्रकट किया है। इस प्रकार अभियुक्त दुर्गो उर्फ दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या किये जाने का हेतुक अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है।

78. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य से हत्या का हेतुक Motive साबित नहीं किया है तथा किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त दुर्गो उर्फ दुर्गेश एवं मृतका सविता के बीच लड़ाई झगड़ा होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं बल्कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षीगण पक्षद्रोही साबित हुए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण है उनकी साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान हत्या के हेतुक के संबंध में खण्डित हुई है।

79. उभय पक्ष के तर्क पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटना का ऐसा कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जिसने अभियुक्त दुर्गा को मृतका सविता के साथ कुदाली व डण्डे से मारपीट करते हुए देखा हो। घटनास्थल पर सर्वप्रथम पी.ड.3 मोहन पहुंचा था जिसने मृतका सविता के पिता पी.ड.2 मन्नालाल को घटना की जानकारी दी। परिवादी पी.ड.2

मन्नालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में सविता के पति द्वारा शंका करना इस कारण मारपीट करना प्रकट किया है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में उसे यह पता नहीं होना कि सविता पर उसका पति आशंका रखता हो ऐसी बात सुनने से इंकार किया है और यह भी स्वीकार किया कि दुर्गेश व उसके परिवार वालों ने कभी भी सविता के चरित्र को लेकर शंका वाली बात नहीं कही। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जब कभी सविता उसके घर आयी तब कभी भी सविता ने उसके पति व उसके ससुराल वालों की कोई शिकायत नहीं की थी और यह भी स्वीकार किया है कि आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश ने सविता की मृत्यु कारित की हो। इस प्रकार परिवादी पी.ड.2 मन्नालाल के बयानों से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने का हेतुक साबित नहीं होता है।

80. गवाह पी.ड.3 मोहन महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने सर्वप्रथम सविता की मृत्यु के संबंध में सूचना परिवादी पी.ड.2 मन्नालाल की दी थी। हालांकि इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में सविता के पति द्वारा शंका करना प्रकट किया है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आज दिन तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि सविता को उसके पति दुर्गेश ने मारा हो बल्कि यह स्वीकार किया है कि किसी और ने मार दिया हो तो भी वह नहीं कह सकता है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि सविता अपने ससुराल से बिना बताये पीहर आ जाती थी और उसके ससुराल वाले पीछे से ढूंढते फिरते थे। इस प्रकार पी.ड.3 मोहन के बयानों से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने का हेतुक साबित नहीं होता है।

81. गवाह पी.ड.4 भंवरलाल एवं पी.ड.5 लोगर ने भी हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में सविता के पति द्वारा सविता के उपर शंका करना जिसके कारण लठ से मारकर हत्या करने का पता चलना कहा है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में इन दोनों ही गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि सविता अपने ससुराल नहीं रूकती थी और बार-बार पीहर आज जाती थी और यह भी स्वीकार किया कि सोहनलाल और दुर्गेश अच्छे इंसान है। मृतका सविता के द्वारा उक्त दोनों साक्षियों के समक्ष एवं परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष अभियुक्त दुर्गेश के द्वारा उस पर शंका करने के संबंध में कभी कोई बात कहीं गयी हो, इस संबंध में भी इन दोनों साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है बल्कि अपने मुख्य परीक्षण में शंका करने की बात उन्हें पता चलना मात्र कहा है। उक्त साक्षियों को यह बात किनसे एवं किस तरह पता चली इस संबंध में इन दोनों साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार पी.ड.4 भंवरलाल एवं पी.ड.5 लोगर के बयानों से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने का हेतुक भी साबित नहीं होता है।

82. गवाह पी.ड.9 लाला, पी.ड.10 सुनकी बाई, पी.ड.11 प्रताप, पी.ड.17 नानालाल ने अपनी साक्ष्य में मृतका सविता पर अभियुक्त दुर्गेश शंका करता हो अथवा लड़ाई झगड़ा करता हो इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं बल्कि पी.ड.9 लाला ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे ऐसा कोई व्यक्त आज दिन तक नहीं मिला जिसने बताया हो कि दुर्गेश ने सविता को मारा हो जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हो। पी.ड.10 सुनकी बाई ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में सविता से जोर जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाना प्रकट करते हुए यह स्वीकार किया है कि घटना से पूर्व या घटना के बाद आज दिन तक सविता के ससुराल के किसी भी पड़ौसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि सविता के ससुराल वाले सविता को अच्छा नहीं रखते हो व उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता करते हो तथा यह भी स्वीकार किया है कि मारूवास के लड़के ही उसकी लड़की सविता को मारकर चले गये हो यह संभव है। पी.ड.11 प्रताप ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मारूवास का लड़का भी सविता की हत्या कर सकता है तथा यह भी स्वीकार किया कि उन्हें गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि दुर्गेश द्वारा सविता की हत्या कर दी गयी हो। गवाह पी.ड.17 नानालाल ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में सविता को किसने मारा कब मारा कैसे मारा यह उसे पता नहीं होना सविता ने आत्महत्या की या किसी ने मार डाला यह उसके द्वारा नहीं बता सकना प्रकट किया है। इस प्रकार गवाहान पी.ड.9 लाला, पी.ड.10 सुनकी बाई, पी.ड.11 प्रताप, पी.ड.17 नानालाल की साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने के हेतुक के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है।

83. गवाहान पी.ड.1 नानकी बाई पी.ड.6 पप्पु, पी.ड.8 नानालाल, पी.ड.12 मांगीलाल, पी.ड.13 देवली, पी.ड.14 मोहनलाल, पी.ड.15 मीठालाल एवं पी.ड.18 कमलीया अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही साबित हुए हैं और इन सभी साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने के हेतुक के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है बल्कि इन साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं आना प्रकट होता है।

84. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मृतका की हत्या का उद्देश्य दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना प्रकट किया है परन्तु पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने उक्त तथ्य किस आधार पर प्रकट किया इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त भी पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी के कथनों का समर्थन अन्य किसी भी अभियोजन साक्षीगण ने किया है तथा किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका

सविता के साथ लड़ाई झगड़ा करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है बल्कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश का मृतका सविता को अच्छे से रखना और उसके साथ कभी कोई मारपीट नहीं करना प्रकट होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करने के हेतुक के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है।

85. इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्मानीय नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त **MD Bani Alam Mazid @ Dhan Vs state of Assam, Criminal Appeal No.1649/2011 on 24.02.2025** में यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :—

"49. In Anwar Ali Vs. State of Himachal Pradesh10, this Court after referring to the previous decisions observed that in a case where direct evidence of eye witness is available, motive loses its importance. But absence of motive in a case depending on circumstantial evidence is a factor that weighs in favour of the accused.

50. Relying on the decision in Anwar Ali (supra), this Court in Shivaji Chintappa Patil Vs. State of Maharashtra observed that in a case of circumstantial evidence, motive plays an important link to complete the chain of circumstances.

51. This Court in Nandu Singh (supra) summed up the legal position that in a case based on circumstantial evidence, motive assumes great significance. It is not as if motive alone becomes the crucial link in the case to be established by the prosecution and that in its absence, the case of the prosecution has to be discarded. But, at the same time, complete absence of motive assumes a different complexion and such absence definitely weighs in favour of the accused."

86. इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश का मृतका सविता पर शंका करने एवं आपस में लड़ाई झगड़ा करने के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या कारित करने का हेतुक/आशय प्रमाणित एवं साबित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में मृतका सविता की हत्या कारित करने बाबत् अभियुक्त दुर्गेश के आशय के पूर्णतः अभाव अभियोजन की कहानी के विरूद्ध एवं अभियुक्त दुर्गेश के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा उत्पन्न करती है।

<u>3. अभियुक्त से की गई बरामदगी</u>

87. इस संबंध में हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड.23 कैलाशसिंह ने अभियुक्त दुर्गेश को जरिये प्रदर्श पी-13 के गिरफ्तार किया है। फर्द गिरफ्तारी की पुष्टि गवाह पी.ड.7

जोधराम व पी.ड.19 हीराराम ने की है। पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त दुर्गेश से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला प्रदर्श पी-31 इस आशय की प्राप्त की कि अभियुक्त दुर्गेश ने अपने घर पर जिस स्थान पर घटना की उस स्थान की तस्दीक करवा सकता है तथा घटना में जिस कुदाली व डण्डे का प्रयोग किया गया उस स्थान को बताकर कुदाली व डण्डे के टूटे हुए टुकड़े को बरामद करवा सकता है तथा अभियुक्त दुर्गेश से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला प्रदर्श पी-32 इस आशय की प्राप्त की कि अभियुक्त दुर्गेश ने अपने घर पर जिस स्थान पर सविता के पहने हुए कपड़े बकरियां बांधने के कमरे में छुपा रखे हैं जो स्थान साथ चलकर बता सकता है। अभियुक्त दुर्गेश की ईत्तला प्रदर्श पी-31 एवं 32 के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश ने कुदाली व डंडा तथा मृतका के कपड़ों को बरामद कराया। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 तथा बरामदगी स्थल का नक्शा विवरण प्रदर्श पी-10 को अनुसंधान अधिकारी ने प्रमाणित किया है। बरामदगी के गवाह पी.ड.3 मोहन व पी.ड.11 प्रताप है, जिन्होंने अपने-अपने बयानों पर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 तथा बरामदगी स्थल के नक्शा प्रदर्श पी-10 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है परन्तु पी.ड.3 मोहन व पी.ड.11 प्रताप ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अनुसंधान अधिकारी कैलाशसिंह ने किस स्थान से घटना में प्रयुक्त कुदाली व डण्डे के टुकड़ों को तथा मृतका के पहने हुए कपड़ों को बरामद किया है। पी.ड.3 मोहन व पी.ड.11 प्रताप ने प्रतिपरीक्षण में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 तथा नक्शा नजरी बरामदगी स्थल प्रदर्श पी-10 पर क्रमशः अस्पताल व थाने में हस्ताक्षर करना बताया है। पुलिस ने उनके हस्ताक्षर अस्पताल एवं थाने में करवाये थे जिस समय उक्त कागज खाली थे। इस प्रकार बरामदगी के गवाह पी.ड.3 मोहन व पी.ड.11 प्रताप के बयानों से घटना में प्रयुक्त कुदाली व डण्डे के टुकडें तथा मृतका के पहने हुए कपड़ों की बरामदगी का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बरामदशुदा कुदाली व डण्डे के टुकड़ों पर अभियुक्त दुर्गेश के फिंगर प्रिन्टस् होने के संबंध में कोई एफएसएल जांच नहीं करवाई गई है।

88. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त दुर्गेश से घटना में प्रयुक्त कुदाली व डण्डे के टुकड़े की बरामदगी का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है। उपरोक्त कुदाली व डण्डे से मृतका सविता की हत्या कारित की गई हो, यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त दुर्गेश से घटना से जुड़ी किसी भी वस्तु की बरामदगी होना प्रमाणित नहीं हुआ है।

89. जहां तक प्रकरण में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-38 का संबंध है तो उक्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-38 के अवलोकन से यह प्रकट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में पांच पैकेट मार्क-ए, बी, सी, डी व ई सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुए जिसकी पुष्टि मालखाना इंचार्ज पी.ड.21 राजुलाल व उक्त पैकेटों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा करने वाले साक्षी पी.ड.20 मोहनलाल कांनि. के बयानों से तथा अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-24 व 25 तथा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-26 से तथा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-27 व 28 से भी होती हैं तथा पी.ड.23 कैलाशसिंह अनुसंधान अधिकारी ने भी उक्त तथ्य की पुष्टि की है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-38 के अवलोकन से मार्क-ए सीमेंट कंक्रीट, मार्क-बी अभियुक्त की जींस पेंट तथा मार्क-सी मृतका सविता के कपड़ों पर मानव रक्त 'बी.' ग्रुप का होना अंकित किया गया है परन्तु बरामदगी के गवाह पी.ड.3 मोहन व पी.ड.11 प्रताप के बयानों से घटना में प्रयुक्त कुदाली व डण्डे के टुकडें तथा मृतका के पहने हुए कपड़ों की बरामदगी का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है तथा बरामदशुदा कुदाली व डण्डे के टुकड़ों पर अभियुक्त दुर्गेश के फिंगर प्रिन्टस् होने के संबंध में कोई एफएसएल जांच नहीं करवाई गई है तथा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त दुर्गेश द्वारा मृतका सविता की हत्या करना भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भी मृतका सविता का रक्त 'बी.' ग्रुप को हो इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और चिकित्सक साक्षीगण पी.ड.22 डॉ. आर.पी. चावला एवं पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने भी अपनी साक्ष्य में मृतका सविता का रक्त 'बी.' ग्रुप का हो इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं बल्कि पी.ड.25 डॉ. जेनेश्वर ने तो अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का ब्लड ग्रुप अंकित नहीं होना स्वीकार किया है। इस प्रकार मृतका सविता का रक्त 'बी.' ग्रुप का हो यह भी अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-38 के अनुसार मार्क-ए सीमेंट कंक्रीट, मार्क-बी अभियुक्त की जींस पेंट तथा मार्क-सी मृतका सविता के कपड़ों पर मानव रक्त 'बी.' ग्रुप का होने के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश को आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है।

90. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त समग्र विवेचन से यह दर्शित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य संबंधी तीनों बिन्दु 1. Last Seen Theory (ऐसे साक्षीगण जिन्होंने मृतका सविता को अंतिम बार अभियुक्त दुर्गेश के साथ देखा है), 2. Motive (घटना कारित करने बाबत् अभियुक्त का आशय) एवं 3. अभियुक्त से हुई बरामदगी तथा अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना को अभियोजन पक्ष प्रमाणित एवं साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

91. अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त दुर्गेश के दोषी होने के संबंध में कोई परिस्थिति साबित नहीं की गई है और अभियुक्त दुर्गेश के दोषी होने के संबंध में पूर्ण श्रृंखलाबद्ध परिस्थितियां साबित नहीं हुई है।

92. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य की उपरोक्तानुसार विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे प्रमाणित एवं साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश ने दिनांक 28.11.2020 को समय 8.00 पीएम से पूर्व किसी समय खमनौर के क्षेत्र ग्राम कराई में अपने निवास स्थान पर अपनी पत्नी सविता की हत्या कारित करने के आशय से उसके साथ लौहे की कुदाली व डण्डे से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित किया हो।

93. जहां तक अभियुक्तगण दुर्गा उर्फ दुर्गेश एवं सोहनलाल के विरूद्ध धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध अर्थात् साक्ष्य का विलोपन का संबंध है तो उपरोक्त किये गये अभियोजन साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है और अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-32 के आधार पर मृतका सविता के पहने हुए कपड़ों की बरामदगी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा सविता के वक्त घटना पहने हुए खून आलुदा कपड़े उतारकर उन्हें छिपाकर दूसरे कपड़े पहनाकर एवं कमरे में फर्श पर पड़े खून को साफ कर साक्ष्य का विलोपन किया गया हो यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

94. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त सोहनलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपित धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्ति के हकदार हैं।

आ दे श

95. परिणामतः अभियुक्त दुर्गा उर्फ दुर्गेश पिता सोहनलाल, आयु 24 वर्ष, निवासी भील बस्ती कराई, थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में तथा अभियुक्त सोहनलाल पिता नाना, आयु 50 वर्ष, निवासी भील बस्ती कराई, थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत् पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

96. इस प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जावे व अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार निस्तारित किये जावे।

97. अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437-क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भविष्य में अपनी उपस्थिति बाबत 10,000/- रूपये का मुचलका व इसी राशि की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये कि वे परिवादी/राज्य सरकार के द्वारा प्रकरण में अपील किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार अपनी उपस्थिति देंगे।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा

98. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा